आरक्षित निर्णय

उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

आदेश संख्या 192/2020 के विरुद्ध अपील

ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ..... अपीलकर्ता

बनाम

राम अन्य और अन्य .....प्रत्यर्थी(गण)

श्री वी के कोहली, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री आई पी कोहली , अपीलकर्ता के वकील
श्री ऐश के मंडल के साथ श्री बी एस कोरंगा, प्रतिवादी नं. 1 और 2 के लिए अधिवक्ता।
सेवा के बावजूद कोई भी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के लिए उपस्थित नहीं

दिनांक 15 नवंबर, 2018

माननीय लोकपाल सिंह, न्यायाधीश

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 विरुद्ध खंड 173 के तहत इस अपील को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण/जिला न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा एम. ए. सी. टी. मामले सं.08/2009, जिसके तहत दावेदारों द्वारा दायर दावा याचिका को अपीलकर्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध 11,62,720/- की राशि के लिए अनुमति दी गई है और अपीलकर्ता को एक महीने के भीतर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा दावेदार दावा याचिका दायर करने की तिथि से इसकी प्राप्ति की तिथि तक प्रति वर्ष @8% ब्याज प्राप्त करने के हकदार होंगे।

2. मामले का तथ्यात्मक मैट्रिक्स यह है कि 17.05.2009 पर भागीरथी (मृतक) एक शादी से लौट रही थी और पंजीकरण संख्या यू ए 05-4268 वाले वाहन में यात्रा कर रही थी। लगभग 02:15 p.m. दोपहर में आरोपी उसे अपने स्कूटर पर सहारनपुर चौक ले गया, जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण, वाहन भरदी टैक्सी स्टैंड के पास एक खाई में गिर गया, जिसके कारण मृतक भागीरथी की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के समय, मृतक एक सहायक शिक्षक थी और प्राथमिक विद्यालय मेहनारबुंगा में पढ़ा रहा था और उसे ₹ 14,478/- का मासिक

वेतन मिल रहा था।मृतक दावेदारों की एकमात्र बेटी थी उसके माता-पिता उस पर निर्भर थे। इन कथनों के साथ, दावेदार जो मृतक के पिता और माता हैं, ने दावा याचिका दायर की और विरोधी पक्षों से ₹ 30,25,000/- की राशि का दावा किया।

3. विपरीत पक्ष सं 1 और 2, उल्लंघनकारी वाहन के मालिक और चालक ने दावा याचिका का विरोध किया और अलग-अलग लिखित बयान दायर किए।उनके लिखित बयानों में, विरोधी पक्ष संख्या।1 और 2 ने दावा याचिका में किए गए अधिकांश कथनों का खंडन किया।उन्होंने कहा कि दुर्घटना लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण नहीं हुई थी।उन्होंने यह भी कहा कि यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दावेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं, तो बीमा कंपनी उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, क्योंकि संबंधित तिथि और समय पर वाहन का बीमा बीमा कंपनी के पास किया गया था और वाहन के कागजात वैध थे।

4. अपीलकर्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने भी अपना लिखित बयान दायर किया और तर्क दिया कि वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के नियमों और शर्तों के विरुद्ध चलाया जा रहा था। यह अग्रेतर आरोप लगाया गया है कि दावेदारों द्वारा उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक के साथ एक मिली-जुली दावा याचिका दायर की गई है और इसे खारिज किया जा सकता है।

5. पक्षकारों की दलीलों के आधार पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किएः

i) क्या 17.5.2009 पर लगभग 02 बजेः15 बजे भरादी टैक्सी बस स्टैंड के पास, पी ऐश कापकोट, जिला बागेश्वर वाहन सं।यूए 05/4268 जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके परिणामस्वरूप यात्री किमी की मौत हो गई। भागीरथी मौके पर?यदि हां, तो इसका प्रभाव पड़ता है।

(ii) क्या प्रश्न वाहन को सभी वैध कागजातों के साथ और मोटर वाहन अधिनियम के नियमों और शर्तों के अनुसार चलाया जा रहा था?यदि हाँ, तो इसका प्रभाव क्या है?

(iii) दावेदार किस पक्ष के विरुद्ध और किस मुआवजे के हकदार हैं?

(iv) क्या दावेदार कोई मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं?

6. इसके बाद पक्षों ने अपने साक्ष्य का नेतृत्व किया।उस पर दावेदारों की ओर से पीडब्लू 1 राम सिंह, पीडब्लू 2 खुशाल सिंह और पीडब्लू 3 संजीवन से पूछताछ की गई।दस्तावेजी साक्ष्य में, दावेदारों ने चिक एफ आई आर, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर का सार, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृतक की वेतन पर्ची और जांच रिपोर्ट की प्रति दाखिल की।विरोधी पक्षों ने कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।यद्यपि विरोधी पक्ष नं।2 दस्तावेजी साक्ष्य में वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी, परमिट, कर प्रमाण पत्र, चालान प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र की प्रतियां दाखिल की गईं।विपरीत पक्ष सं।3 ने सूची 32सी द्वारा कुछ दस्तावेज भी दाखिल किए।

7. पक्षकारों को सुनने के बाद और पूरे साक्ष्य के अवलोकन पश्चात न्यायाधिकरण ने उपरोक्त के रूप में विवादित निर्णय और निर्णय पारित किया।

8. अपीलकर्ता बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सबसे पहले यह तर्क देंगे कि दावेदार जो मृतक के माता-पिता हैं, वे मृतक पर निर्भर नहीं थे; न्यायाधिकरण ने दावेदारों को गलत तरीके से मुआवजा दिया है, सबसे अधिक वे निर्भरता के लिए कुछ पारंपरिक राशि के हकदार थे।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अग्रेतर तर्क देंगे कि मुआवजा उच्च पक्ष के दावेदारों को दिया गया है; न्यायाधिकरण को मृतक की उम्र के बजाय दावेदारों की उम्र पर गुणक लागू करना चाहिए था।अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता शक्ति देवी बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ए. एन. आर., 2010 (2) U D 527 के मामले में दिए विद्वान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

पर अवलम्ब करेंगे। वह पैरा-12 का उल्लेख करेंगे, जिसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> *"12. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, दुर्घटना के समय मृतक की आयु 22 वर्ष थी और उसकी शादी नहीं हुई थी।वह अपने घर से एक सामान्य दुकान चला रहा था और लगभग रु। 1000/- प्रति माह व्यवसाय से।सरला वर्मा 3 में, इस न्यायालय ने कहा कि जहां मृतक स्व-नियोजित था, वहां न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय मात्र वास्तविक आय लेगा; वहां से प्रस्थान मात्र विशेष परिस्थितियों से जुड़े दुर्लभ और असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।क्या वर्तमान मामले में विशेष परिस्थितियाँ शामिल हैं?हमारी राय में, ऐसा होता है।सबूत सामने आए हैं कि मृतक को अपने पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात वन विभाग में नौकरी मिलनी थी।जाहिर है कि सबूत सरकारी नीति पर आधारित हैं।इस प्रकार मृतक को निकट भविष्य में सरकारी नौकरी की उचित उम्मीद थी।इन परिस्थितियों में, मृतक की मृत्यु के 5 एल. ओ. समय पर वास्तविक आय को संशोधित करने की आवश्यकता है और मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारे विचार में, मृतक की मासिक आय रु। 2000/-।जहाँ तक व्यक्तिगत खर्चों का संबंध है, चूंकि मृतक विवाहित नहीं था, हम संतुष्ट हैं कि सरला वर्मा 3 में कहा गया सिद्धान्त कि 50% को कुंवारे के व्यक्तिगत और रहने के खर्च के रूप में माना जाना चाहिए, लागू किया जा सकता है।इस प्रकार देखा गया कि निर्भरता का वार्षिक नुकसान रु। 12, 000/-।जहाँ तक गुणक का संबंध है, न्यायाधिकरण ने 8 का गुणक लागू किया।अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 18 का गुणक मृतक की आयु को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए था।तर्क किसी भी सार से रहित है।ऐसे मामले में जहां दावेदार की आयु मृतक की आयु से अधिक है, खोए हुए निर्भरता के पूंजीकरण के लिए दावेदार की आयु को ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि मृतक की आयु को।ऐसा इसलिए है क्योंकि गुणक का चुनाव मृतक या दावेदार की उम्र, जो भी अधिक हो, से निर्धारित होता है।दावेदार की सही उम्र अभिलेख पर नहीं आई है।ए. डब्ल्यू. 1 (पंकज कुमार सिन्हा) के साक्ष्य के अनुसार, उनके बयान की तिथि पर दावेदार की आयु लगभग 63 वर्ष थी।एडब्ल्यू-1 के बयान की तिथि उपलब्ध नहीं है।दुर्घटना 1991 में हुई थी और न्यायाधिकरण के निर्णय की तिथि 6 जून, 2000 है।आम तौर पर, साक्ष्य पूरा होने के पश्चात*

न्यायाधिकरण को ज्यादा समय नहीं लगा होता।हम मान सकते हैं कि एडब्ल्यू-1 का बयान 1998 या 1999 में कहीं दर्ज किया गया था।यदि ऐसा है, तो दुर्घटना की तिथि पर दावेदार की आयु लगभग 54-55 वर्ष होगी।सरला वर्मा 3 में तैयार की गई तालिका के अनुसार, इसलिए 11 का गुणक लागू होगा।निर्भरता के वार्षिक नुकसान (Rs.12000/-) को 11 के गुणक से गुणा करके, दावेदार रुपये की राशि में मुआवजे का हकदार हो जाता है। न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि रु 60, 000/- और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई स्पष्ट रूप से गलत है और इसे बढ़ाकर रु। 1,32,000/- "।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम बचन सिंह और एक अन्य, 2016 (2) यू डी 456 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी अवलम्ब करेंगे।

11. इसके विपरीत, दावेदारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता न्यायाधिकरण के फैसले और निर्णय का समर्थन करेंगे और तर्क देंगे कि दावेदारों को दिया गया मुआवजा अत्यधिक नहीं है।

12. मैंने पक्षों के विद्वान वकील विद्वान अधिवक्ता है और पूरे अभिलेख का अध्ययन किया है।

13. मुद्दे पर नं.1, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि दावेदार राम सिंह ने खुद को पीडब्लू1 के रूप में जांचा है और पीडब्लू2 खुशाल से भी जांचा है, जो घटना के चश्मदीद गवाह हैं।इस गवाह ने अपनी गवाही में कहा है कि वह भी शादी में शामिल होने गया था।17.5.2009 पर, मृतक अन्य लोगों के साथ शादी से लौट रहा था और एक वाहन में यात्रा कर रहा था जिसे उसके चालक द्वारा बहुत जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था।जल्दबाजी और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया और गहरी खाई में गिर गया।वह वाहन की पिछली सीट पर बैठे थे और अचानक झटके के कारण बाहर फेंक दिए गए थे, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं लगी।दुर्घटना में, किमी। भागीरथी और एक दूसरे की मृत्यु हो गई है।

न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि विरोधी पक्ष एन. ओ. एस. 1 और 2 ने अपने लिखित बयानों में दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार किया है।इसके अलावा, दुर्घटना F.I.R, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र से भी साबित होती है, जिसे दावेदारों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है।साक्ष्य के आधार पर, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि दुर्घटना जल्दबाजी और लापरवाही के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप दावेदार की बेटी की मौत हो गई है।न्यायाधिकरण द्वारा अंक सं. पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।1 साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के पश्चात और इसलिए हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

14. मुद्दे पर नं.2, न्यायाधिकरण ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि हालांकि बीमा कंपनी (अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में दलील दी है कि उल्लंघन करने वाले वाहन को बिना किसी वैध कागजात के चलाया जा रहा था और मालिक ने मोटर वाहन अधिनियम के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है, लेकिन विरोधी पक्ष नहीं।3 ने अपने दावे को साबित आदेश के लिए कोई सबूत दायर नहीं किया है।इसके विपरीत, विरोधी पक्ष नं।2, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक ने परमिट, बीमा पॉलिसी आदि दाखिल की है। यह दिखाने के लिए कि वाहन के सभी कागजात वैध थे और घटना की तिथि को वाहन का अपीलकर्ता बीमा कंपनी के साथ विधिवत बीमा किया गया था।साक्ष्य के आधार पर, न्यायाधिकरण ने सं.2 विपरीत संख्या के पक्ष में।1 और 3.न्यायाधिकरण द्वारा अंक सं. पर निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं।2 साक्ष्य के उचित मूल्यांकन के पश्चात और इसलिए हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

15. मुद्दे पर सं।3 और 4, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि दावेदारों ने दावा किया है कि मृतक एक सहायक शिक्षक था और प्राथमिक विद्यालय मेहनारबुंगा में पढ़ा रहा था और उसकी मासिक आय 14,478/- थी। अपने दावे को साबित आदेश के लिए, दावेदारों ने मृतक का वेतन प्रमाण पत्र दाखिल किया और पीडब्लू 3 राम संजीव की जांच की, जिन्होंने मृतक का वेतन प्रमाण पत्र साबित किया। वेतन प्रमाण

पत्र के आधार पर, न्यायाधिकरण ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि मृतक को 11,360 रुपये का शुद्ध मासिक वेतन मिल रहा था और इस तरह मृतक की गणना की गई वार्षिक आय 1,36,320/- के रूप में थी।चूंकि मृतक कुंवारा था, इसलिए न्यायाधिकरण ने व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50% की कटौती की और इस प्रकार निर्भरता के वार्षिक नुकसान का आकलन ₹68,160/- किया।इसके अग्रेतर पारिवारिक रजिस्टर के आधार पर, न्यायाधिकरण ने माना कि मृतक की आयु दुर्घटना की तिथि को 32 वर्ष थी और तदनुसार मोटर वाहन अधिनियम की अनुसूची को देखते हुए '17' का गुणक लागू किया। इस तरह, न्यायाधिकरण ने निर्भरता के कुल नुकसान की गणना ₹ 11,58,720/- के रूप में की।इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च और मानसिक दर्द और पीड़ा के लिए 4,000/- की राशि प्रदान की।

16. अब यह न्यायालय विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए पहले तर्क पर विचार करेगा जो यह है कि दावेदार मृतक पर निर्भर नहीं थे।मृतक, जो सरकारी नौकरी में था और वेतन के रूप में ₹11,360/- प्रति माह प्राप्त कर रहा था, परिवार को उनके निर्वाह और अस्तित्व के लिए अपनी आय का एक हिस्सा या पूरा योगदान दे रहा होगा।मृतक की आयु लगभग 32 वर्ष थी और दुर्घटना की तिथि को अविवाहित था।वह अपने माता-पिता की एक मात्र बेटी थी जो की दावेदार हैं ।आम तौर पर, भारतीय समाज में लड़कियों की शादी 30 वर्ष की आयु तक होती है, लेकिन वर्तमान मामले में 32 वर्ष की आयु में भी मृतक अविवाहित थी, जो एक संकेत देता है कि मृतक ने शादी नहीं की थी क्योंकि उसके माता-पिता उस पर निर्भर थे और उसे उनका पालन-पोषण करना था। अविवाहित बेटी की कमाई में लैंगिक भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है।मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी कानून है जिसका उद्देश्य पीड़ितों या उनके परिवारों को वास्तविक दावों के मामलों में

राहत प्रदान करना है।इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए विद्वान तर्क का कोई बल नहीं है और इसे इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

17. जहाँ तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए विद्वान दूसरे तर्क के संबंध में कि गुणक मृतक की आयु पर लागू होगा, मुझे इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता है।यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि गुणक विधि एक उपयुक्त विधि है, जिससे प्रस्थान मात्र दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में और बहुत असाधारण रूप से उचित ठहराया जा सकता है।***सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और (2009) 6 एस. सी. सी. 121*** में एक अन्य रिपोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से निर्णय दिया है कि गुणक का विकल्प मृतक की उम्र से निर्धारित किया जाना चाहिए।

18. जहाँ तक अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उच्च पक्ष के दावेदारों को मुआवजा दिया गया है, यह तर्क गलत है।मृतक स्थायी सरकारी नौकरी में था लेकिन न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की वास्तविक आय में कोई वृद्धि नहीं की है।इसके अग्रेतर ट्रिब्यूनल द्वारा अंतिम संस्कार के खर्च और मानसिक दर्द और पीड़ा के लिए 1,000/- रुपये की मामूली राशि का फैसला किया गया है।इसके अलावा, न्यायाधिकरण द्वारा सशर्त ब्याज लगाया गया है, जबकि ब्याज दावा याचिका दायर करने की तिथि से दिया जाना चाहिए था।ऐसी परिस्थितियों में, मेरी सुविचारित मत में, यह ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 5157 में सूचित राष्ट्रीय बीमा कंपनी बनाम प्रणय सेठी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए मुआवजे में वृद्धि का मामला होता, लेकिन वृद्धि के लिए किसी भी अपील की अनुपस्थिति में में, मुआवजे को इस सिद्धान्त पर नहीं बढ़ाया जा सकता है कि एक अपीलकर्ता को उस स्थिति से बदतर स्थिति में नहीं घटाया जा सकता है जिसमें वह होता अगर उसने अपील दायर करने का जोखिम नहीं उठाया होता।

19. पूर्वगामी कारणों से, अपील में योग्यता का अभाव है।इसी को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

20. वैधानिक राशि, उस पर उपार्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संबंधित न्यायाधिकरण को प्रेषित की जाए।निचली अदालत का अभिलेख भी वापस भेजा जाए।

21. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

(लोक पाल सिंह, जे.)
15.11.2018

रजनी